

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
107/23	88,188 RTA	किशोरपुरा	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कमलेश यादव	बनाम	लक्ष्मी बाई	
वकील :-	राकेश कुमार गालव	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		

1-11-2023

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 7-12-2023 को पेश हो।

7-12-23

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-12-23 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारा),

7-2-24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-2-24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारा),

27.3.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20.5.24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारा),

20.5.24

पत्रावली पेश हुई। वकील को उपाय करे की कमी तलब है तलब पत्र के लिए पत्रावली वाहे तलब रिपोर्ट 2-7-24 को पेश हो।



2-7-24

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपाय प्रतिवादी कर। की तलब हेतु सही मते था रजि. AD तलबाना पेश करे। पत्रावली वाले तलबी दिनांक 21.8.24 को पेश हो।

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

21.8.24

पत्रावली पेशा हुई/ ककील वादी उपर/ ककील वादी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं चलते है/ ककील वादी ने Not process किया है/ प्रकार Not process से खारिज किया जाता है पत्रावली भेजाल कुमार दोबारा बाद तामील तामील के सखिल सखर है।

ख

Not Process
Mishra
(21/8/24)